रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032023-244481
CG-DL-E-18032023-244481

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2023/फाल्गुन 26, 1944
No. 176] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2023/PHALGUNA 26, 1944

## श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवंबर, 2022

**फा. सं. एआई/18/11/एससीटीआईएमएसटी/2022.—**लाभ का पद से संबंधित संयुक्त समिति ने अपनी तारीख 29 मार्च, 2022 की सातवीं रिपोर्ट में श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 का आतिथ्य प्रभारों के उपबंध को हटाकर संशोधन करने की सिफारिश की है, ताकि श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम में नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्यों की संविधान के अनुच्छेद 102 के उपखंड (क) के खंड (1) के निबंधनों में निरर्हता का निवारण किया जा सके, क्योंकि आतिथ्य प्रभार संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के अधीन यथा परिभाषित प्रतिकर भत्तों के अधीन नहीं आते हैं;

और श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के शासी निकाय ने तारीख 22 जून, 2022 के अपने संकल्प द्वारा श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 के संशोधन की कार्रवाई का अनुमोदन कर दिया है और उक्त संकल्प का श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के संस्थान निकाय द्वारा भी अनुमोदन कर दिया गया है ;

अत:, अब, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 (1980 का 52) की उपधारा 2 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, विनियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

**1.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2.** श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम विनियम, 1981 के विनियम 22 में, "यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और आतिथ्य प्रभार" शब्दों के स्थान पर, "यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

डॉ. संजय बिहारी, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./702/2022-23]

**टिप्पण :** श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम नियम, 1981 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 618, तारीख 23 जून, 1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना पीएंडएआई/विनियम/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2020, तारीख 24 दिसंबर, 2020 द्वारा किया गया था ।

## SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY, TRIVANDRUM

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2022

**F. No. AI/18/11/SCTIMST/2022.—**Whereas the Joint Committee on Offices of Profit, in its Seventh Report, recommended for amendment of regulation 22 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981 in its report, dated the 29th March, 2022, by removing the provision of hospitality charges, so as to prevent disqualification of Members of Parliament nominated to Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum in terms of article 102 sub-clause (a) of clause (1) of the Constitution, as hospitality charges are not covered under compensatory allowance as defined under clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959);

And whereas the Governing Body of Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology have *vide* its resolution, dated the 22nd June, 2022, approved action to amend regulation 22 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum Regulations, 1981 and the said resolution was also approved by the Institute Body of Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Act 1980 (52 of 1980) read with sub-section (2) thereof, the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations,1981, namely:-

1. (1) These Regulations may be called the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum (Amendment) Regulations, 2022.

   (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981, in regulation 22 for the words "travelling allowance, daily allowance and hospitality charges", the words "travelling allowance and daily allowance" shall be substituted.

Dr. SANJAY BEHARI, Director

[ADVT.-III/4/Exty./702/2022-23]

**Note:-** The Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, Regulations, 1981 was published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R.618, dated the 23rd June, 1981 and last amended *vide* notification number P&A.I/REGULATION/AMDT/SCTIMST/2020, dated the 24th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2023.03.18 13:27:24 +05'30'